कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस मेरठ/बरेली जोन

पत्रांकः– स.5/डिडि/फा०स०/मेरठ.13/90 | दिनांकः 16–01–2013
सेवा में

प्रबन्धक,
आर0एम0 पब्लिक स्कूल,
ग्राम – जीवनपुर ,तहसील नजीबाबाद,
जनपद बिजनौर ।

विषयः आर0एम0 पब्लिक स्कूल, ग्राम – जीवनपुर ,तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर को अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इन्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13–04–2009 के अनुपालन मे प्रदेश के स्कूलो/कालेजो मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध मे सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश संख्याः 1801/15–7–09–1(124)/2009 दिनांक 20–07–2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या ।

2– आपका आवेदन पत्र दिनांक 28–12–2012।

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 मे उल्लिखित शैक्षिक भवनो के लिये प्राविधानित अग्नि सुरक्षा के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी नगीना जनपद बिजनौर द्वारा आर0एम0 पब्लिक स्कूल, ग्राम – जीवनपुर ,तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर का निरीक्षण संलग्न प्रारूप/मानचित्र के अनुसार किया गया,। अग्निशमन अधिकारी नगीना जनपद बिजनौर की निरीक्षण आख्या दिनांक 06–01–2012 के अनुसार विद्यालय का कुल प्लाट एरिया 6972.61 वर्ग मीटर, भूतल पर निर्मित कवर्ड एरिया 1336.35 वर्ग मीटर, है। उक्त विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था निम्नानुसार उपलब्ध है ।

1–(क) पहुँच मार्ग की चौडाई ––––– 12.50 मीटर ।
(ख) प्रवेश द्वार की चौडाई ––––– 04.50 मीटर ।
(ग) भवन की ऊचॉई –––– 04.00 मीटर।

2–पानी की स्थायी टंकी,भूमिगत/ऊपरी–
वॉछित नही ।

3–स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति –
वॉछित नही

4– फर्स्ट ऐड होजरील –
वॉछित नही

5– भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त अग्निशामक उपकरणः–
आई0एस0 2190:1992 के अनुसार स्थापित किये गये है। जिनके आई0,एस0,आई0, मानक सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये है।

6– कम्पार्टमेन्टैशन–
वॉछित नही ।

7–स्वचालित अग्नि संसुचक और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति
उपलब्ध नही

है। हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

Principal
R M Public School

8– <u>निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह–</u>

आवश्यक निर्देश दे दिये गये है ।

9– <u>विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत्र–</u>

वॉछित नही ।

10– <u>फायर मैन स्विचयुक्त फायर लिफ्ट–</u>

वॉछित नही ।

11– <u>वेट राईजर/डाउन कमर सिस्टम</u> –

वॉछित नही ।

12–<u>सैट बैक</u>–

अग्रभाग––––––06.00 मीटर से अधिक
पार्श्व–1–––– 06.00 मीटर से अधिक
पार्श्व–2–––– 06.00 मीटर से अधिक
पृष्ठभाग–––– 06.00 मीटर से अधिक

13– <u>निकास की आवश्यकताए एवं अग्नि से बचाव के मार्ग</u> –

निकास एवं बचाव के मार्ग पर्याप्त है ।

14– <u>फायर ड्रिल–</u>

03 माह के अन्तराल पर फायर ड्रिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

15– <u>अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण</u> –

सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दे दिये गये है।

16– <u>अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण –</u>

स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करा दिया गया है ।

17– <u>निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल–</u>

03 माह के अन्तराल पर निष्क्रमण ड्रिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

18–<u>सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा–</u>

सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दे दिये गये है।

उपरोक्तानुसार विषयगत विद्यालय को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तो के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है ।

1– वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में अन्य निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा ।

2– वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा तथा प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रमाण–पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था/उपकरण संतोषजनक व कार्यशील दशा में है।

3–विद्यालय की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुँच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

4– विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नही करेगें ।

5– विद्यालय में प्रयोगशाला में एल0पी0जी0 का सुरक्षित प्रयोग करेगें तथा शट आफ वाल बाहर की ओर लगवायेगें ।

Principal
Public School

6– विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरो में 35 से अधिक

7— विद्यालय में भोजन/मिड—डे मिल आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टीन सैड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।

8— उपरोक्त प्रतिबन्धो के उल्लघन पर निर्गत अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

अतः अग्निशमन अधिकारी नगीना जनपद बिजनौर की संस्तुति के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन आर0एम0 पब्लिक स्कूल, ग्राम — जीवनपुर ,तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नः अनुमोदित मानचित्र

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ/बरेली जोन

प्रतिलिपिः—1—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2—अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन केन्द्र नगीना जनपद बिजनौर, को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ/बरेली जोन

Principal
R M Public School
Jeevanpur (Bijnor) U P

Manager
R. M. Public School
Jeevanpur